

“प्ररूप 8क
[नियम 10क(1)(छ) देखें]
नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीकरण के
लए आवेदन

टिप्पण: कृपया स्पष्ट अक्षरों में लखे/मुद्रित करें

भाग 1

फोटो चत्र

1. आवेदक का पूरा नाम:.....
यदि वह कसी अन्य नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है तो ऐसा नाम यहां प्र वष्ट करे:.....
2. वर्तमान पता :
3. (क) लंग:.....
(ख) उपजी वका:.....
(ग) यदि सेवा में है तो नियोजक का नाम:.....
(घ) पहचान चन्ह:.....
4. कृपया वनिर्दिष्ट करे क आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकस्तान से कस अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिन्दू, सख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबं धत है :
.....
5. जन्म का स्थान और तारीख :.....
6. जन्म द्वारा राष्ट्रीयता :.....
7. वर्तमान राष्ट्रीयता, यदि भन्न है:.....
8. (क) वैवाहिक स्थिति:.....
(ख) यदि ववाहित है तो ववाह की तारीख
और स्थान तथा पति या पत्नी की राष्ट्रीयता.....
(ग) पति या पत्नी का नाम:.....
9. पता का पूरा नाम.....है निवासी..... और उसका जन्म(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में.....तारीखको हुआ था और.....का नागरिक है ।
10. माता का पूरा नाम..... है निवासी..... और उसका जन्म(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित)..... में.....तारीखको हुआ था और.....की नागरिक है ।
11. क्या आवेदक कसी अन्य देश का नागरिक है जहां कसी भारतीय को उस देश की व ध या रूढि द्वारा देशीयकरण :..... द्वारा उस देश की प्रजा या नागरिक होने से निवारित करती है

12. भारतीय भाषाओं (जो भारतीय संवधान की आठवीं अनुसूची में वनिर्दिष्ट हैं) का नाम जिन्हें वह पर्याप्त रूप :..... से जानता है

13. भारत में निवास का ब्यौरा:

(क) भारत में प्रवेश की तारीख.....

(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवध के दौरान लगातार भारत में निवास किया है हां/नहीं

(ग) बारह मास की उक्त अवध से ठीक पूर्व चौदह वर्ष के दौरान मैंने कुल मलाकर पांच वर्ष की अन्यून अवध तक भारत में निवास हां/नहीं किया है ।

क्र.सं.	पछले चौदह वर्षों में भारत में निवास का पता सहित ब्यौरे	तारीख से	तारीख तक	वर्ष और मास
1	2	3	4	5

14. वे कारण, जिनके लए आवेदक भारत की नागरिकता अर्जित करने की वांछा रखता है:

15. पासपोर्ट की व शष्टियां (यदि उपलब्ध हों):

(क) देश:..... (ख) संख्यांक :.....

16. तक वीजा व धमान्य है (यदि उपलब्ध हों) :.....

17. कुटुम्ब के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में रह रहे हैं :

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5

18. अपरा धक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:

क्र.सं.	अपरा धक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत करने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान स्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

19. उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसका आवेदक के चरित्र को सत्या पत करते हुए शपथपत्र इसके साथ सलंगन है :

.....

20. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/झहीं त्यागा है या मुझे भारत क नागरिकता से वंचत कया गया/झहीं कया गया है ।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचत कया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश कया गया था, कथत कये जाएं ।)

21. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन कया है/झहीं कया है और आवेदन नामंजूर कया गया है/झहीं कया गया है ।

22. मैं घोषणा करता हूं क मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं क मेरे आवेदन का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भवष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

23. मैं,.....सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/करती हूं क इस आवेदन में कथत पूर्वगामी व शष्टियां सही हैं तथा मैं यह सत्यनिष्ठा से घोषणा यह वश्वास करते हुए क वे सही हैं, शुद्ध अंतःकरण से करता हूं/करती हूं ।

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर:.....

राजनिष्ठा की शपथ

मैं,.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान (या शपथ) लेता हूं क मैं वध द्वारा स्थापत भारत के संवधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक भारत की वधियों का पालन करूंगा और भारत के नागरिक के रूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ।

आवेदक का हस्ताक्षर.....

आज तारीख.....20.....को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान कया गया/शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर कए गए ।

* हस्ताक्षर.....

* पदनाम

**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधकृत अधकारी के हस्ताक्षर और पदनाम, जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण और घोषणा की गई है या राजनिष्ठा की शपथ ली गई है ।*

*नागरिकता अधनियम, 1955** के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लए आवेदन के साथ शपथपत्र।*

नागरिकता अधनियम, 1955 के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लए आवेदन के संबंध में, मैं,..... पुत्र निवासी शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से यह प्रतिज्ञान करता हूं क इसके साथ संलग्न मेरे आवेदन में कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और वश्वास में सत्य हैं ।

यदि मुझे प्रमाणपत्र जारी करे जाने से पूर्व कसी समय पूर्वगामी व शष्टियों में से कसी भी शुद्धता परिस्थितियों में कसी परिवर्तन के कारण प्रभावत होती है तो मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को लखत में उसकी तत्काल सूचना देने का वचन देता हूँ ।

स्थान.....

आवेदक का हस्ताक्षर.....

तारीख.....

****शपथपत्र नोटेरीओथ क मशनर मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापत कया जाएगा ।**

आवेदक के चरित्र को प्रमाणत करते हुए शपथपत्र

(मद 19 द्वारा)

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देशीयकरण के प्रमाणपत्र के लिए.....(आवेदक का नाम) द्वारा कए गए, आवेदन के वषय में, मैंआयुवर्ष का हूँ उपजीवका में हूँ, पुत्र निवासी शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से यह प्रतिज्ञान करता हूँ क मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं.....(आवेदक का नाम) के अच्छे चरित्र को सत्यापत करता हूँ ।

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

डाक का पूरा पता :

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषत करने के लिए, प्रस्तुत कया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है ।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कये जाने वाले दस्तावेज

1. अनुसूची 1क में से कसी एक दस्तावेज की एक प्रति
2. अनुसूची 1ख में कसी एक दस्तावेज की एक प्रति
3. अनुसूची 1ग के अनुसार प्ररूप में एक शपथ पत्र
4. वैध या समाप्त हो चुके वदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
5. वैध या समाप्त हो चुके आवासीय परमिट की एक प्रति यदि उपलब्ध हो
6. स्वयं (आवेदक) से एक शपथ पत्र और एक भारतीय नागरिक से आवेदन प्ररूप में उपलब्ध वहित भाषा में आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक शपथ पत्र।

अनुसूची 1ख
[नियम 10क देखें]
नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची क आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है[धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

1. भारत आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रति
2. वदेशी प्रादेशक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारत में वदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट।
3. जनगणना संबंधित सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रणालियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
4. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
5. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
6. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र ।
7. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र ।
8. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या कराएदारी अभिलेख या रजिस्टर कराया करार ।
9. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज ।
10. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वृत्तीय संस्था जैसे बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज ।
11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।
12. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और उनके द्वारा जारी अभिलेख और खाता ब्यौरे ।
13. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां ।
14. आवेदक के नाम पर वद्युत संयोजन कागजात या वद्युत बिल या अन्य उपयोगिता बिल ।
15. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशकारण ।
16. कर्मचारी भवष्य निधि (ईपीएफ),साधारण भवष्य निधि,पेंशन,कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन दर्शित करने वाला दस्तावेज ।
17. भारत में जारी आवेदक का वद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ।
18. वद्यालय या महा वद्यालय या बोर्ड या विश्व वद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाणपत्र ।
19. आवेदक को जारी किया गया नगरपालिका व्यापार लाइसेंस ।
20. ववाह प्रमाणपत्र ।

टिप्पण : (i) उपरोक्त दस्तावेज कसी भारतीय प्राधकरण द्वारा जारी कए जाने चाहिए और वे उनकी वैधता अवध के आगे भी स्वीकार्य होंगे ।

(ii) दस्तावेजों से यह सद्ध होना चाहिए क आवेदक ने भारत में 31.12.2014 को या उसके पूर्व प्रवेश कया था ।

अनुसूची 1ग
[नियम 10क देखें]
नागरिकता नियम, 2009

आवेदन के साथ प्रस्तुत कया जाने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ लया जाने वाला अनुप्रमाणित शपथ पत्र का नमूना [दस रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिए जाने हेतु]

शपथ पत्र

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी

सत्यनिष्ठा से यह घोषित और पुष्टि करता हूँ कि :-

(i) मैं भारत में मेरे प्रवेश करने की तारीख को उस देश के हिन्दू/सख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जो लागू न हो उसे काट दे) का अफगान/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक हूँ और इस आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख को उक्त समुदाय से ही संबंधित हूँ और मैं (उक्त देश में पूरा डाक पता लखें) पर निवास करता था ।

स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र* संलग्न है ।

(ii) क मैं गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 685(अ) और आदेश सं० सा.का.नि. 686(अ), तारीख 07.09.2015 और अधिसूचना सं० सा.का.नि. 702(अ) और आदेश सं० सा.का.नि. 703(अ), तारीख 18.07.2016 के निबंधनानुसार पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन और वदेश्यों वषय अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए कसी नियम के उपबंधों या कए गए आदेशों के लागू होने से केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त हूँ ।

(iii) क मैंने भारत में.....को प्रवेश कया (यथा उपलब्ध तारीख, मास और वर्ष दिया जाए)

(iv) मैं यह जानता हूँ क नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन मथ्या अभ्यावेदन करना या कसी सारवान तथ्य को छिपाना अपराध है और यदि बाद में यह पाया जाता है क मेरे द्वारा इस शपथ पत्र और/या पात्रता प्रमाणपत्र में कोई गलत सूचना प्रस्तुत की जाती है तो मैं मेरी भारतीय नागरिकता से आरंभ से ही वंचित हो जाऊंगा ।

सत्यापन

.....पर (स्थान)(तारीख, मास और वर्ष) को सत्यापित कया गया क उपरोक्त शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और वश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है ।

अ भसाक्षी

स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणन

*पात्रता प्रमाणपत्र

(स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संबंधित व्यक्ति के लए

मैं,.....(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(नाम)
निवासी.....(पूरा डाक पता) संपुष्ट करता हूं क मैं
श्री/श्रीमती/सुश्री.....(अफगान/बांग्लादेशी/या कस्तानी नागरिक का नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(नाम) निवासी.....(पूरा डाक पता) को जानता
हूं और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और वश्वास के अनुसार वह हिन्दू/सख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जो
लागू न हो उसे काट दे) से संबं धत है और वह उपरोक्त वर्णत समुदाय का निरंतर सदस्य है ।

(हस्ताक्षर)

प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम
सामुदायिक संस्था का नाम और पता
दूरभाष/मोबाइल सं०

स्थान

तारीख